दिनांक 19 दिसंबर, 2008 को प्रातः 11 बजे एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय एफ.डी.ए. भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थेः

1. श्री पी. आई. सुवरथन, अध्यक्ष

2. श्री जी. बालाचंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य सचिव

3. सदस्यगण (अनुलग्नक 1 के अनुसार)

प्रारंभ में, श्री जी. बालचंद्रन, सदस्य सचिव ने खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का प्राधिकरण की प्रथम बैठक में स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय से उनके आरंभिक भाषण के लिए अनुरोध किया।

श्री पी. आई. सुवरथन, अध्यक्ष ने प्रथम बैठक में सभी सदस्यों और आमंत्रित व्यक्तियों का स्वागत किया और खाद्य संरक्षा एवं मानक विनियमों/प्रवर्तन से जुड़े मामलों में प्राधिकरण के अधिदेश तथा इससे अपेक्षित भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नए कानून में यथा उल्लिखित संघीय संरचना में विनियमों और मानकों के एकीकरण/अभिसरण का कार्य चुनौतीपूर्ण है और इसे एक निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना है। उन्होंने खाद्य संरक्षा के मानक सूत्रबद्ध करने और विनियम में विज्ञान को शामिल किए जाने के कार्य में सभी सदस्यों और हितधारकों के योगदान की आशा की।

श्री देबाशीष पांडा, डा. संजय सिंह, श्रीमती नवराज संधू, श्री टापे बागड़ा और श्री गिबसन जी. वेदामणि को, जो बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें, उन सभी को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई।

मद सं. 1

श्री पी.आई. सुवरथन, अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 7 (3) और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों नियम, 2008) के नियम 16 के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। विधिवत् हस्ताक्षरित प्रपत्र 1 और 2 को अभिलेख में शामिल किया गया।

मद सं. 2

उपस्थित सदस्यों ने अपनी वार्षिक रूचि घोषणा (अनुलग्नक 2) और विशिष्ट रूचि की घोषणा (अनुलग्नक 3) दायर/घोषित की। विहित प्रपत्र में विधिवत हस्ताक्षरित घोषणाएं अभिलेख में शामिल की गईं।

मद सं. 3

अधिसूचना का.आ. 2165 (च) दिनांक 5 सितंबर, 2008 का अवलोकन किया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में श्री पी. आई. सुवरथन की नियुक्ति को नोट किया। अध्यक्ष ने दिनांक 9 जून, 2008 को कार्यभार ग्रहण किया।

मद सं. 4

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश दिनांक 18–02–08 का अवलोकन किया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री जी. बालाचंद्रन की नियुक्ति को नोट किया।

मद सं. 5

अधिसूचना का. आ. 2165 (च) दिनांक 5 सितंबर, 2008 और का. आ. 1758 (च) दिनांक 15-10-07 का अवलोकन किया और 22 सदस्यों वाले भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की स्थापना को नोट किया।

मद सं. 6

खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की सामान्य मुहर के नमूने पर विचार किया और निश्चयनिश्चय किया गया कि कार्यवृत्त के हाशिए में लगाई गई और अध्यक्ष द्वारा आद्याक्षर की गई छाप के अनुसार मुहर को प्राधिकरण की सामान्य मुहर के रूप में अनुमोदित और स्वीकार किया जाता है और इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

मद सं. 7

श्री जी. बालाचंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य सचिव ने "एफ.एस.एस.ए.आई का सिंहावलोकन और वर्तमान स्थिति" के संबंध में संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने सदस्यों को पिछले कुछ महीनों में प्राप्त की जा चुकी विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 90 को अधिसूचित करने में सक्षम रहा है और विभिन्न आदेशों के अंतर्गत कर्मचारियों और कार्य के स्थानांतरण की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने सदस्यों के ध्यान में यह बात लाई कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्राधिकरण को पहले ही एफपीओ/एमएफपीओ अधिकारी अंतरित कर दिए हैं। प्राधिकरण, केन्द्रीय सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के लिए व्यापार संव्यवहार हेतु प्रारूप प्रक्रियाएं भी तैयार की गई हैं और आज की बैठक में विचार हेतु रखी गई हैं। उन्होंने पोषण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के उन्नयन के संबंध में प्रारंभ किए जाने हेतु प्रस्तावित अध्ययनों के अलावा, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान दिल्ली में खाद्य स्थापनाओं में परोसे जाने वाले दूध के सुरक्षित होने एवं उसकी गुणवत्ता तथा खाद्य पदार्थों के

सुरक्षित होने एवं उनकी गुणवत्ता संबंधी विशेषज्ञ समूह का गठन करने की पहल की भी संक्षेप में व्याख्या की।

<u>मद सं. 8</u>

प्राधिकरण के प्रारूप अवलोकन और मिशन पर विचार किया और एकमत से निश्चय किया कि प्रारूप विवरण को व्यापक परामर्श के लिए एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर रखा जाए और इसे विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों पर आधारित प्रस्तावित संसाधनों के साथ अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

सदस्यों ने अवलोकन और मिशन को कार्रवाई–उन्मुख होने की जरूरत, उपभोक्ताओं द्वारा सूचित विकल्प को समर्थ बनाने के महत्व और स्व–अनुपालन के संवर्धन पर जोर दिया। यह भी सुझाव दिया गया कि प्राधिकरण को अपना नागरिक घोषणापत्र तैयार करना चाहिए जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं की रूपरेखा और सेवाओं की सुपुर्दगी में गुणवत्ता के आश्वासन का उल्लेख होना चाहिए।

<u>मद सं. 9</u>

एफडीआई भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002 के तृतीय/चतुर्थ तल पर स्थित एफ.एस.एस.ए. आई के मुख्यालय को नोट किया उसके अलावा निश्चय लिया कि इस भवन में उपलब्ध स्थान प्राधिकरण के स्टाफ को जगह देने के लिए पर्याप्त नहीं है और उपयुक्त भूमि की पहचान तथा एक पृथक भवन के निर्माण के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु और इस बीच किराए पर उपयुक्त अतिरिक्त स्थान लेने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत किया गया।

<u>मद सं. 10</u>

यह निश्चयनिष्चय किया गया कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारित किया जाए और प्रथम वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2008 से प्रारंभ हो और 31 मार्च 2009 को समाप्त हो।

<u>मद सं. 11</u>

यह निश्चय लिया गया कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को कार्यालय समय सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 5.30 बजे के बीच हो और इसमें अपराह्न 1.30 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक भोजनावकाश हो।

<u>मद सं. 12</u>

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की बचत खाता, जिसकी खाता संख्या 26030100006313 है, बैंक ऑफ बडोदा, निर्माण भवन, नई दिल्ली में खोला जाना नोट किया गया।

<u>मद सं. 13</u>

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के 01-05-2008 से 26-11-2008 तक के व्यय विवरण पर बैठक में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 14</u>

बैठक में मेसर्स रावला एंड कंपनी के प्रत्यय–पत्रों और अनुभव पर विचार किया गया और उन्हें चालू वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक के लिए 36,000/–रूपए लागू सेवा कर की वार्षिक परिलब्धि पर आंतरिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि लेखा–परीक्षक इसी परिलब्धि पर 18–02–08 से 31–03–09 तक की अवधि के लेखों की भी जांच/लेखा–परीक्षा करेंगे। प्राधिकरण ने यह भी निश्चय लिया कि अगले वर्ष के लिए एक उपयुक्त पैनल से चयन किया जा सकता हैं।

<u>मद सं. 15</u>

सदस्यों ने प्रारूप प्रक्रिया नियमों पर विचार किया और प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित आशोधनोंआषोधनों के अधीन प्रारूप नियमों को अनुमोदित करने का निश्चय लिया। आगे बैठक में इन विनियमों की अधिसूचना के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत किया गया–

(i) अनुच्छेद 3 (ii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"एक वर्ष में कम से कम तीन प्राधिकरण की बैठकें ऐसी तिथियों और ऐसे स्थानों पर होंगी जैसाकि अध्यक्ष निर्देश दे और किसी भी दो बैठकों के बीच अंतराल किसी भी दषा में, 5 माह से अधिक का नहीं होगा। प्राधिकरण की प्रथम बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में आयोजित की जाएगी।"

(ii) अनुच्छेद 6(ii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"यदि प्राधिकरण की किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं हो, तो अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वालो कोई अन्य सदस्य, बैठक को ऐसी अन्य तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित करेंगे जैसाकि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जो कि 30 दिन से बाद की नहीं होगी, और यदि ऐसी स्थगित बैठक में भी गणपूर्ति मौजूद नहीं होती है, तो उपर्युक्त अनुच्छेद 6 (i) में विनिर्दिष्ट किसी बात के होने के बावजूद, स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य, जो संख्या में पांच से कम नहीं हों, ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति का निर्माण करेंगे और ऐसा होने पर ऐसी स्थगित बैठक के लिए चर्चा प्रारंभ किया जाना और केवल प्रारंभिक बैठक की कार्यसूची में निर्धारित कार्य की मदों का निपटान किया जाना विधिसम्मत होगा।

(iii) अनुच्छेद 7 (i) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"मुख्य कार्यकारी अधिकारी" प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची को तैयार करने हेतु और इसे प्रत्येक बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले प्राधिकरण के सभी सदस्यों में परिचालित करवाने हेतु जिम्मेदार होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष के परामर्श से कार्यसूची तैयार करेंगे,

परंतु कार्यसूची को जारी किए जाने के बाद इसमें उल्लिखित किसी कार्य की मद को संशोधित करना या कार्यसूची में जोड़ना/हटाना विधिसम्मत होगा"।

(iv) अनुच्छेद 7 (ii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"प्राधिकरण की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुमति अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे अन्य सदस्य की अनुमति के बिना कार्यसूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य का संव्यवहार नहीं किया जाएगा।"

(v) अनुच्छेद 10 (i) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक बैठक की समाप्ति के 2 सप्ताह के भीतर प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त तैयार करवाएंगे और इसे अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे,

परंतु यदि किसी कारण से मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होते है, तो ऐसे किसी अन्य कार्याधिकारी के लिए, जिसे अध्यक्ष इस अस्थायी उद्देश्य हेतु नामोद्दिष्ट करे, यह विधिसम्मत होगा और उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह बैठक का कार्यवृत्त तैयार करे"।

(vi) अनुच्छेद (ii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य, यथास्थिति, द्वारा पूर्वोक्त अनुमोदित प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक का प्रारूप कार्यवृत्त अगली बैठक में इसे स्वीकार किए जाने के लिए, ऐसे अनुमोदन से 2 सप्ताह से के अंदर में प्रत्येक सदस्य को प्रेषित करेंगे।

परंतु प्रारूप कार्यवृत्त में किए जाने वाले आशोधनों, यदि कोई हों, के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा"।

(vii) अनुच्छेद 12 (ii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"किसी भी निश्चय को सदस्यों द्वारा विधिवत पारित तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा निश्चय, आवश्यक पत्रों के साथ, यदि कोई हो, प्रारूप में सभी सदस्यों को भारत स्थित उनके सामान्य पते पर परिचालित नहीं कर दिया जाए और भारत में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाए"।

मद सं. 16

प्राधिकरण ने प्रारूप प्रक्रिया नियमों पर विचार किया और प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित आशोधनोंआशोंधनों के अधीन प्रारूप नियमों को अनुमोदित करने का निश्चय लिया। आगे प्राधिकरण ने इन नियमों की अधिसूचना के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने का निश्चय लिया। प्राधिकरण ने इसके अलावा अध्यक्ष के परामर्श से खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 11 (5) और 92 (2) (ख) के अनुसार केन्द्रीय सलाहकार समिति के गठन के प्रस्ताव हेतु और इसे अनुमोदन के लिए प्राधिकरण की अगली बैठक के समक्ष लाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने का निश्चयनिश्चय किया:

(ii) अनुच्छेद 3 (ii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"एक वर्ष में कम से कम तीन केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकें ऐसी तिथियों और ऐसे स्थानों पर होंगी जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें और किसी भी दो बैठकों के बीच अंतराल किसी भी दशा में, 5 माह से अधिक का नहीं होगा। केन्द्रीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में आयोजित की जाएगी।"

(ii) अनुच्छेद 3 (iii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"अध्यक्ष द्वारा अथवा प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो कि अध्यक्ष द्वारा अभिप्रेत बैठक के समय, तिथि और स्थान की सूचना देते हुए प्राधिकृत किया जाए, केन्द्रीय सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक की हस्ताक्षरित सूचना प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जाएगी। ऐसी सूचना अनुच्छेद 3 (iv) के उपबंधों के अधीन होगी और बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले परिचालित की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में विचार की जाने वाली कार्य–मदों का उल्लेख करते हुए बैठक की संक्षिप्त कार्यसूची प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी। ऐसी सूचना त्वरित संचार को संभव बनाने के लिए ई–मेल या फैक्स/कूरियर के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ भेजी जाएगी या डाक द्वारा भेज दी जाएगी"।

(iii) अनुच्छेद 9 (i) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"केन्द्रीय सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक का प्रारूप कार्यवृत्त प्रत्येक बैठक की समाप्ति से 2 सप्ताह के भीतर तैयार किया जाएगा और इसे अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।"

(iv) अनुच्छेद 9 (ii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य, द्वारा पूर्वोक्त यथा अनुमोदित केन्द्रीय सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक का प्रारूप कार्यवृत्त अगली बैठक में इसे स्वीकार किए जाने के लिए, प्रत्येक सदस्य को यथास्थिति प्रेषित किया जाएगा जिसकी अवधि ऐसे अनुमोदन के उपरांत 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं होगी।

मद सं. 17

प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों की स्थापना और संचालन के लिए प्रारूप प्रक्रियाओं पर विचार किया और निम्नलिखित आशोधनों के अधीन प्रारूप विनियमों को अनुमोदित करने का निश्चय लिया–

(i) अनुच्छेद 2 (iii) एवं (iv) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किए जाएंगे–

"अध्यक्ष से प्राधिकरण या केन्द्रीय सलाहकार समिति या वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल, जैसाकि संदर्भ प्रदान करे, का अध्यक्ष अभिप्रेत है"। अन्य अनुच्छेदों में परिणामी परिवर्तन किए जा सकते हैं।

(ii) अनुच्छेद 3 (v) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

"वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों की संख्या इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, किंतु यह 15 से अधिक नहीं होगी"।

(iii) अनुच्छेद 3 (vii) निम्नलिखित रूप में पठनीय होगा–

प्राधिकरण के अध्यक्ष नए सदस्यों को जोड़कर या विद्यमान सदस्यों की परस्पर अदला–बदली कर वैज्ञानिक पैनलों का समय–समय पर पुनर्गठन कर सकेंगे। पैनल के नाम को बदलने या एक नया पैनल जोड़ने से संबंधित प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए उनके समक्ष लाया जाएगा।

मद सं. 18

प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों और कार्य समूहों हेतु बाह्य विशेषज्ञों के चयन की प्रारूप प्रक्रिया पर विचार किया और प्रारूप विनियमों को अनुमोदित करने का निश्चयनिश्चय लिया। इसके अलावा प्राधिकरण ने अध्यक्ष के परामर्श से वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों के गठन का प्रस्ताव करने के लिए और इसे अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने निश्चय किया।

मद सं. 19

प्राधिकरण ने विचार किया और निश्चय किया कि प्राधिकरण जब तक अपना नियम नहीं बना लेता, तब तक यह भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों और वित्तीय नियमों के प्रत्यायोजन का अनुसरण करेगा।

मद सं. 20

प्राधिकरण ने वर्ष 2009–10 के लिए बजट प्राक्कलनों को अनुमोदित करने पर विचार और निर्णय किया और साथ ही निदेश दिया कि गतिविधियों के अधिदेश और दायरे, संचार कार्यनीति की आवश्यकता, और विभिन्न प्रकार के हितधारकों के मद्देनजर सम्मेलनों, संगोष्ठिया/बैठकों और विज्ञापन, प्रचार और प्रकाशनों हेतु बजट परिव्यय को अत्यधिक बढ़ाया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने आवश्यक आशोधनों को करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया।

मद सं. 21

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए प्रस्तावित नई संगठन संरचना के संबंध में एक प्रस्तुति दी और स्पष्ट किया कि नई संगठन संरचना के पीछे कौशल प्रधान, असीण संगठन संरचना तथा अधिनियम की भावना के अनुरूप इसके कार्यों को करने और कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए तथा खाद्य संरक्षा और मानक पहलुओं पर वैश्विक सक्षमता रखने हेतु एक सुदृढ़ आंतरिक वैज्ञानिक दल रखने या संगठन को इसके पब्लिक इंटरफेस में और अधिक दक्ष, जिम्मेदार, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए ई–शासन और अधिकारी–उन्मुख प्रणालियां रखने का सिद्धांत मौजूद हैं। अधिकारियों के नियंत्रण के एक इष्टतम दायरे को सुनिश्चित किया गया है ताकि उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के क्षेत्र में संकेन्द्रित रूप से ध्यान देने योग्य और उनके कार्य क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदार और स्व–सहायता प्रभागों को अपने कार्य क्षत्रों में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने योगय बनाया जा सके।

प्राधिकरण ने नई संगठन संरचना के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई हेतु प्रस्तावित 409 पदों (एफ.एस. एस.ए.आई मुख्यालय में 134 पद, मंडल कार्यालयों में 115 पद और प्रयोगशालाओं में 160 पद) को अनुमोदित करने और नई संगठन संरचना और उसमें प्रस्तावित पदों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने पर विचार किया और निश्चय लिया। सदस्यों ने प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण पर तथा योग्यता, कौशलों और क्षमताओं के आधार पर स्टाफ को रखे जाने की जरूरत पर जोर देने पर भी बल दयिा।

मद सं. 22

प्राधिकरण ने प्राधिकरण के कार्यों की रूप–रेखा/कार्य योजना पर विचार किया, और इसे अनुमोदित किया। कार्य रूप–रेखा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्रवाई योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।

धन्यवाद ज्ञापन

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक 1

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः

1. श्रीमती उपमा चौधरी
2. श्री अमरेन्द्र खटुआ

3. श्री गौतम सन्याल
4. श्री संजय सिंह
5. श्री के. एस. लुडु
6. सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा
7. श्रीमती इंद्राणी कर
8. श्रीमती वंसुधरा प्रमोद देवधा
9. श्री बिजोन मिश्रा
10. डा एस. गिरिजा
11. डा. एन. एन वार्णेय
12. डा. इंदिरा चक्रवर्ती
13. डा. पी. सुचारिथा मूर्ति
14. श्री शिव नारायण साहू
15. श्री स्वपन कुमार पाल
16. डा. टी. ए. कादर भाई
17. श्री. वी. बालासुब्रमणियम